



दूरभाष
0522-2288656

कार्यालय मुख्य अभियन्ता(जल-विद्युत)

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
तृतीय तल, शक्ति भवन विस्तार
14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

फैक्स 0522-2288655

E-Mail-cehydelpcl@gmail.com

संख्या:- 274 -अ-7/अधिकारी आवास आवंटन

दिनांक:- 08, 03, 2017

कार्यालय-ज्ञापन

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं उ०प्र० जल-विद्युत निगम लि० के अधोनामित अधिकारीगणों के नाम विभागीय अधिकारी कालोनी में रिक्त उपलब्ध आवासों का स्तम्भ-4 एवं 5 में उल्लिखित विवरण के अनुसार एतद्वारा आवंटन किया जाता है:-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम एवं पदनाम तथा तैनाती स्थल	आवासीय स्थिति	आवंटित आवास	टिप्पणी
1	2	3	4	5
सर्वश्री				
1	चन्द्रोदय कुमार, एच०जे०एस० विधि अधिकारी, उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन लखनऊ।	बाहर	चन्द्रलोक 4/45	रिक्त है। मा० उच्च न्यायालय की संस्तुति पर उत्तर प्रदेश कारपोरेशन लि० शक्ति भवन लखनऊ में विधि अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर आने के दृष्टिगत विशेष परिस्थितियों में चन्द्रलोक 4/45 आवंटित।
2	सुनील कुमार गोयल, निदेशक तकनीकी, उ०प्र० जल-विद्युत निगम लि०, लखनऊ	चन्द्रलोक ट्रांजिट-3	चन्द्रलोक ट्रांजिट-3	चन्द्रलोक ट्रांजिट-3 श्री एस०के० गोयल को मुख्य अभियन्ता के पद पर रहते हुए आवंटित किया गया था। श्री गोयल दिनांक 31.01.2017 को मुख्य अभियन्ता के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं अब दिनांक 01.02.2017 से उक्त आवास सं०-चन्द्रलोक ट्रांजिट-3 श्री सुनील कुमार गोयल को निदेशक तकनीकी के पद पर रहने के दृष्टिगत आवंटित किया जाता है।
3	अतुल निगम, निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० रा०उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन लखनऊ,	बाहर	क्लाइड रोड 17/12	रिक्त होने की प्रत्याशा में आवंटित।
4	मो० वारिस खान, अधि० अभि०, विद्युत संचार एवं संग्रहकीकरण परिकल्पना मण्डल, (ईसीसीडीसी), लखनऊ वरिष्ठता क्रमांक-01	चन्द्रलोक ट्रांजिट-02	चन्द्रलोक 4/73	रिक्त है। चन्द्रलोक ट्रांजिट-02 रिक्त करने की तिथि से आवंटित।

5	सुश्री पल्लवी सिंहल, सहा0अभि0,आर0ए0पी0डी0आर0 पी0, रेस्पों लखनऊ। वरिष्ठता क्रमांक-21	बाहर	चन्द्रलोक ट्रांजिट-02	चन्द्रलोक ट्रांजिट-02 रिक्त होने की तिथि से आवंटित।
---	--	------	--------------------------	--

वरिष्ठता क्रम संख्या 02 से 20 तक आवेदकों के प्राथमिकता पर इच्छित कालोनी /आवास उपलब्ध न होने के कारण आवास प्रदान नहीं किया जा सका।

आवंटित आवास में सिविल कार्यों की कमी होने की स्थिति में आवंटीगण जानपद निर्माण खण्ड-प्रथम, लखनऊ के अधिशासी अभियन्ता से पत्राचार करें एवं नियमानुसार निर्धारित समय सीमा में आवास का अधिग्रहण करना सुनिश्चित करें।

परिषदादेश सं0-4220-डब्लू/एसईबी/81-82 दिनांक 06.05.82 के अन्तर्गत उपरोक्त अधिकारियों को आवास अधिग्रहण तिथि अथवा आदेश निर्गत होने की तिथि अथवा 8वें दिन जो भी पहले हो से मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा तथा विद्युत मद में नियमानुसार कटौती भी प्रारम्भ कर दी जाय।

**अध्यक्ष आवास आवंटन समिति एवं
मुख्य अभियन्ता(जल-विद्युत)**

संख्या :- 2न्य-अ-7/तददिनांक: 08/03/2017.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता(जानपद), पारेषण-द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जानपद निर्माण खण्ड-प्रथम, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह अभिधारण लेने वाले अधिकारीगणों की सूची इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराये।
3. सम्बन्धित आवंटीगणों को इस आशय से प्रेषित कि वह नियमित आवंटित आवास का एक माह के भीतर तथा शिफ्टिंग पर आवंटित आवास का अभिधारण एक सप्ताह के भीतर करेंगे अन्यथा की स्थिति में आवंटन आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा, साथ ही आवास किराया भत्ता उनसे तब तक वसूल किया जाता रहेगा जब तक इस आवास का आवंटन किसी अन्य सुपात्र को नहीं कर दिया जाता। अधिग्रहण न लेने की स्थिति में नियमानुसार उन्हें प्रथम बार एक वर्ष के लिए वारित भी कर दिया जायेगा।
4. अधिशासी अभियन्ता(वेब), शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय के साथ की वह सूची को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
5. सम्बन्धित पदधारी।
6. मुख्य अभियन्ता, (जल-विद्युत) के शिविर सहायक।
7. कटफाइल।



(एम0के0 जाखनवाल)

संयोजक एवं सदस्य

अधिकारी आवास आवंटन समिति

कृते मुख्य अभियन्ता(जल-विद्युत)